

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जोगाराम बनाम लो.सू.अ.( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 227/2020

17.12.20  
अपीलार्थी जोगाराम गोदारा पुत्र जीयाराम, पता गावं व पोस्ट अकदड़ा वाया बायतू, जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.09..20 में उसके द्वारा (1) माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गेहलोतजी को लोकसभा चुनाव सन् 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिया गया था उनके द्वारा किये गये उक्त चुनावों में प्रस्तुत किये गये नामांकन पत्र व साथ संलग्न शपथ-पत्र व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( जिला निर्वाचन अधिकारी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा चाहा जा रहा रिकॉर्ड पुराना है तथा रिकॉर्ड नष्टीकरण करने के विधिक प्रावधान भी है अतः लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में उक्त सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।